

= प्रेस नोट =

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1458 दिनांक 03 फरवरी, 2022 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-78/EPS/2022/1830 दिनांक 19 जनवरी, 2022 के द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के सफल सम्पादनार्थ भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रमानुसार जनपद की तीनों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों 04-बद्रीनाथ, 05-थराली (अ.जा.) एवं 06-कर्णप्रयाग के लिए मतदान दिवस दिनांक 14 फरवरी, 2022 (सोमवार) को जनपद अन्तर्गत समस्त मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में समस्त अदिरल प्रक्रिया संस्थानों (उद्योगों) तथा समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों/मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत मजदूरों के लिये मताधिकार के प्रयोग हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।


उक्त तिथि को जनपद की तीनों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों अन्तर्गत आने वाले सभी बैंक, कोषागार/उप कोषागार भी बन्द रहेंगे। यह आदेश उक्त निर्धारित तिथि को प्रभावी होंगे।

(हिमांशु खुराना)
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली।

संख्या: 698/29-आ10सहि0/वि.स.सा.नि0-2022 दिनांक 04 फरवरी, 2022

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 2- पुलिस अधीक्षक चमोली।
 - 3- अपर जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी चमोली।
 - 4- समस्त रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर, 04-बद्रीनाथ, 05-थराली (अ.जा.) एवं 06-कर्णप्रयाग, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जनपद चमोली।
 - 5- समस्त तहसीलदार, जनपद चमोली।
 - 6- समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, जनपद चमोली।
 - 7- जिला सूचना अधिकारी चमोली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को जनसाधारण की जानकारी हेतु जनपद में प्रचलित दो मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।
 - 8- समस्त नोडल/सहायक नोडल अधिकारी, वि.स.सा.नि.-2022।
 - 9- जिला निर्वाचन कार्यालय चमोली के नोटिस बोर्ड पर चर्या हेतु।


जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चमोली।